




संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,  
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर-छ0ग0




Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Raipur-C.G.

आर.डी.ए.बिल्डिंग, शारदा चौक,  
रायपुर - 492 001  
दूरभाष - 0771-2223728,  
फैक्स - 0771-2223728,  
Email : [cg\\_townplan@hotmail.com](mailto:cg_townplan@hotmail.com)  
Email : [cgtownplan@gmail.com](mailto:cgtownplan@gmail.com)

R.D.A. Building, Sharda Chowk,  
Raipur - 492 001  
Tel. : 0771 - 2223728  
Fax: 0771 - 2223728  
Email : [cg\\_townplan@hotmail.com](mailto:cg_townplan@hotmail.com)  
Email : [cgtownplan@gmail.com](mailto:cgtownplan@gmail.com)

कमांक / /नग्रानि / धारा-30'क' / पीएल -33/15/2016 रायपुर, दिनांक,  
प्रति

मेसर्स बजरंग बली बिल्डर्स,  
द्वारा सूर्यकान्त तिवारी,  
आई-34 अनुपम नगर, रायपुर छ0ग0



विषय- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अंतर्गत पुनरीक्षण मेसर्स श्री बजरंग बली बिल्डर्स पार्टनर श्री सूर्यकान्त तिवारी, रायपुर (छ0ग0)।

- संदर्भ :-
1. आपका आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2015
  2. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर के आदेश क्र. 2230/शैडो क्र. 85/15 नग्रानि/16, नया रायपुर दिनांक 07.06.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत सदरित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम-पचेड़ा, प.ह.नं. 81/2, रा0नि0मं0 मंडि हसौद, तह आरंग जिला-रायपुर स्थित भूमि खसरा कमांक 388/3 रकबा 0.150हे, ख क 388/4 रकबा 0.260हे, ख क 388/5 रकबा 0.360हे, ख क 388/6 रकबा 0.120हे, ख क 388/8 रकबा 0.060हे, ख क 390 रकबा 0.200हे, ख क 391 रकबा 0.00हे, ख क 393/1 रकबा 1.000हे, ख क 393/2 रकबा 1.020हे, ख क 395 रकबा 0.580हे, ख क 398 रकबा 0.060हे, ख क 1030/1 रकबा 0.110हे, ख क 1030/2 रकबा 0.110हे, ख क 1031 रकबा 0.120हे, ख क 357 रकबा 0.510हे, ख क 388/7 रकबा 0.120हे, ख क 388/2 रकबा 0.290हे, ख क 394 रकबा 0.420हे, ख क 396 रकबा 0.090हे, ख क 397 रकबा 0.070हे, ख क 399 रकबा 0.410हे, ख क 404 रकबा 0.140हे, ख क 408 रकबा 0.710हे, ख क 409 रकबा 0.420हे, ख क 410/1 रकबा 0.00हे, ख क 411 रकबा 0.180हे, ख क 412 रकबा 0.380हे, ख क 413 रकबा 0.330हे, ख क 416 रकबा 0.190हे, ख क 417 रकबा 0.210हे, ख क 418 रकबा 0.600हे, ख क 422 रकबा 0.160हे, ख क 1020 रकबा 0.330हे, ख क 1021 रकबा 0.450हे, ख क 1022 रकबा 0.360हे, कुल रकबा 11.010 हेक्टर भूमि पर इस कार्यालय द्वारा जारी आवासीय कालोनी हेतु विकास अधिनियम 1973 की धारा 74 के अंतर्गत छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्र. 2230-16/2016/32 दिनांक 27.05.2016 अनुसार छ0ग0 भूमि विकास नियम-1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाती है:-

छ0ग0भूमि विकास नियम-1984 के नियम 23 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि अनुज्ञा दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकेंगी।

मानचित्र में दर्शाये अनुसार संशोधन मान्य होगा।

- 03. शासन के आदेश एवं पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 04. पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5846/नग्रानि/पी.एल. 57/14/15 रायपुर दिनांक 05.05.2015 द्वारा प्रदान की गई विकास अनुज्ञा की समस्त शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

संलग्न- पुनरीक्षण अभिन्यास की एक प्रति।

Sd.  
प्रोसंयुक्त संचालक,

क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश रा

क्रमांक/ 9199 /नग्रानि /घारा-30'क' /पीएल -33/15/2016 रायपुर, दिनांक.

- विधि :-
- 1- आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छ.ग. नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
  - 2- अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - 3- आयुक्त, आयकर विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
  - 4- सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पचेड़ा प.ह.नं. 81/2.रा0नि0म0 मंदिर हसौद, तह आरंग जिले रायपुर की ओर सूचनार्थ।

प्रोसंयुक्त संचालक,

क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर